

कारणवश : अंमल अधिकारी, चन्द्रपुरा (बोहाले)

विविध वाद : — / 2024

10/07/24

अभिलेख उपस्थापित

उभय पक्ष हाजिर हुए। परन्तु पुकार पर द्वितीय पक्ष काली चरण गोष्ठी अनुपस्थित। यह वाद श्री विवाद से संबंधित है। वाद की सुनवाई हेतु उभय पक्ष की उपस्थिति आवश्यक है। अभिलेख दिनांक 29/07/24 को रखें।

अंमल अधिकारी
चन्द्रपुरा

29/08/2024

अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। पीठासीन पदाधिकारी यानिका हागो, विधानमाला, आराधन, रौन्नी में होने के कारण वाद की सुनवाई नहीं हो पायी। अभिलेख दिनांक 16/08/2024 को रखें।

16/08/2024

अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्षों के द्वारा हाजिरी दी गयी। उभय पक्षों को सुना। प्रथम पक्ष के द्वारा बताया गया कि काली मुर्ख गलत तरीके से हमलाओं के खतिमानी जमीन जिसका विवरण है ~~मौजा - बुदयेरा~~ ^{मौजा - बुदयेरा} के रकबा सं 62 प्लॉट सं 1636 रकबा 36 बी० के मध्ये 2 1/4 बी० भूमि खिड़ी कर दिया है, उक्त जमीन काली चरण गोष्ठी द्वारा सेगरा मौजा ~~मौजा - बुदयेरा~~ ^{मौजा - बुदयेरा} माना-बुदयेरा खरीदा है।

द्वितीय पक्ष काली चरण गोष्ठी द्वारा बताया गया कि हम खतिमानी हैमल के वंशज काली मुर्ख से खिडाला सं 1344 दिनांक 31.07.2024 से मौजा - बुदयेरा रकबा सं 62 प्लॉट सं 1636 रकबा 36 बी० के मध्ये 4.25 बी० जमीन खरीदा है। उक्त डेगला से त्राप भूमी

का दार्जिल - खारीज मैश सं 353/23-24 से
कराकर लगान रखी कटवा रहा है। उस
शरीर पर मेरा दखल है।

द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत कागजातों के
अवलोकन किया। अवलोकनेवाला यह स्पष्ट
होगा है कि द्वितीय पक्ष द्वारा मौजा - बुद्धबेरा
के खाना सं-62 के खतियानी दैमत लखीराम
मांझी के वंशज काली मुर्ख से प्रचुरात धर्म
क्रम किया है। प्रथम पक्ष द्वारा भी बताया गया
की काली मुर्ख खतियानी दैमत लखीराम मांझी
के वंशज है। प्रथम पक्ष का यह भी कहना है की
काली मुर्ख हमलोडों के हिस्से की जमीन जिसमें धा-
औग है वर वंच दिया है, जो गलत है।

उभय पक्षों के सुनने तथा कागजातों के
अवलोकन से यह स्पष्ट होता है प्रचुरात शरीर के
विशेष काली मुर्ख, खतियानी दैमत लखीराम मांझी के
वंशज है, यदि प्रथम पक्ष को बताया है कि उसके
हिस्से की धर्म काली मुर्ख द्वारा निबंधित केवल
से वंच दिया गया है तो प्रथम पक्ष उस
केवल को रद्द कराने हेतु सक्षम न्यायालय
जा सकते हैं। क्योंकि यह वाद वैदवा/स्वयं
से संबन्धित है। इस प्रकार इस वाद की कार्यवाही
समाप्त की जाती है।


16/08/24
अं. सं.
भट्ट 8/1